"सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की नीतियों एवं कार्यक्रमों में उपेक्षित बच्चों की भागीदारी" परियोजना के अन्तर्गत प्रकाशित

तितली

रंग बिरंगे पंखों से...

वर्ष – 1, अक्टूबर–दिसम्बर 2009

Save the Children

CUTS International 25 years 1983 2008

CUTS CHD

संपादक की कलम से

प्रिय पाठकों,

तितली के प्रथम अंक को आप सभी ने सराहा। धन्यवाद।

सभी बच्चे चाहते हैं कि वे जल्दी से जल्दी समाज में किसी न किसी रूप में उपयोगी साबित हों। बच्चों को ऐसे अवसर देने के उद्देश्य से ही वर्तमान त्रैमास में परियोजना क्षेत्र के 28 गाँवों में बच्चों के संगठन 'बाल पंचायत' का गठन किया गया।

बच्चे अपने अधिकारों का समझ सकें, इसके लिए पहला कदम उन्हें अधिकारों की जानकारी देना तथा किस प्रकार वे इनका प्रयोग कर सकते हैं, यह बताना जरूरी है। बच्चों से जुड़े सभी हितधारकों का विशेषाधिकार तथा कर्तव्य है कि हम बच्चों को इसकी जानकारी दें। इसी क्रम में संस्था द्वारा किए जा रहे प्रयास तितली के द्वितीय अंक में प्रस्तुत हैं।

इस अंक के बारे में आपके बहुमूल्य सुझाव सादर आमंत्रित हैं...

आशीष त्रिपाठी
केन्द्र समन्वयक

अन्दर के पृष्ठ में

- मेरे सपनों का गाँव
- पहेलियां
- पर आज घर भी सुरक्षित नहीं रहा...
- मुख्य गतिविधियां
- मीडिया क्लिप

बाल मेला

स्वयं सेवी संगठन 'कट्स' मानव विकास केन्द्र द्वारा सेव द चिल्ड्रन–बाल रक्षा भारत के सहयोग से चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति की सावा, सामरी, शंभूपुरा, घटियावली, ऐराल एवं नेतावल गढ़ पाछली ग्राम पंचायतों के 28 गाँवों में *"सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की नीतियों एवं कार्यक्रमों में उपेक्षित बच्चों की भागीदारी परियोजना"* का क्रियान्वयन किया जा रहा है। परियोजना के माध्यम से वंचित बच्चों के अधिकारों की रक्षा करते हुए समाज को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

परियोजना के तहत् 6 अक्टूबर 2009 को शम्भूपुरा ग्राम पंचायत के केसरपुरा गाँव में बाल मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में केसरपुरा के अलावा बड़ का अमराना, नीम का अमराना, मेड़ी का अमराना और शम्भूपुरा गाँव के बच्चों ने भी अपनी सहभागिता प्रदान की। हर गाँव के तीसरी से आठवीं कक्षा के लगभग 25 बच्चों ने इस मेले में भाग लिया। सभी गाँवों के सचेतक एवं स्कूलों के शिक्षकों ने भी इस मेले में अपना सहयोग प्रदान किया।

बाल मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य नन्हें नन्हें बच्चों की प्रतिभाओं को निखारना व उनकी भावनाओं का सम्मान करना था। बाल मेले का शुभारंभ केसरपुरा की कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका इन्दू पुरी गोस्वामी ने किया। बाल मेले की शुरूआत में सभी बच्चों व उपस्थित शिक्षक, सचेतक, अतिथियों द्वारा पुराने समाचार पत्रों का प्रयोग कर टोपी बनाकर पहनी गई। बच्चों ने एक दूसरे की टोपी बनाने में मदद भी की और सभी बच्चे टोपी पहनकर खुश हुए।

सभी बच्चों को पेन्सिल, रबर, कटर, रंग और चार्ट पेपर दिये गए। इन चार्ट पेपर पर बच्चों को अपनी इच्छानुसार चित्र बनाने को कहा गया। बच्चों ने अपना घर, अपना विद्यालय, जानवर, फूल, फल, अपना परिवार, अपना गाँव आदि के चित्रों के माध्यम से अपनी कल्पनाओं को दर्शाया। केसरपुरा बाल मेले में कुल 179 बच्चों ने भाग लिया।

"मोटी छोरयां ने बाणे भणवा ने मेलबा रो जमानो को नी..."

चित्तौड़गढ़ जिले के गाँव शम्भूपुरा में 15 साल की बालिका आशा सुथार अपने भाई बहिन व माता पिता के साथ रहती है। उसके पिता अम्बालाल सुथार, सुथारी (लकड़ी के सामान बनाना) का कार्य करते हैं। आशा की उम्र बढ़ने के कारण आशा के माता–पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी और शादी के लिए रिश्ता देखने लगे।

शम्भूपुरा गाँव में एक दिन परियोजना के तहत् बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये रैली निकाली गई। रैली के दौरान आशा सुथार दिखाई दी जो एक तरफ खड़े हो रैली को देख रही थी। आशा से पढ़ाई के बारे में पूछने पर पता चला कि उसने 8वीं तक पढ़ाई कर छोड़ दी। वो आगे पढ़ना चाहती है परंतु, उसके अभिभावक उसे आगे पढ़ाना नहीं चाहते हैं। यह बात सुनकर संस्था की कार्यकर्ता आशा की माँ से मिली और उन्हें समझाया और आशा को स्कूल भेजने को कहा। आशा की माँ कहने लगी "कि छोरी ने अबे नी भणावां। आज री टेम में मोटी छोरयां ने बाणे भणवा ने मलबा रो जमानो को नी अबे तो ईको ब्याव करावणों है हुने घरे ई काम कराउंला"। आशा के माता–पिता को समझाया गया कि बाल विवाह करवाना कानूनी अपराध है। लड़की का विवाह 18 वर्ष से पहले नहीं होना चाहिए।

समझाईश से आशा के माता पिता मान गए और 13 सितम्बर 2009 को आशा का दाखिला शम्भूपुरा में करवाया और साथ ही उसका विवाह होने से रोक दिया। आज आशा बाल पंचायत की अध्यक्ष है और स्कूल जाकर बहुत खुश है। आशा के माता पिता आशा को स्कूल जाता देखकर प्रसन्न हैं क्योंकि संस्था ने उनकी आंखें खोल दी और उनकी बेटी आशा की जिन्दगी बर्बाद होने से बचा ली।

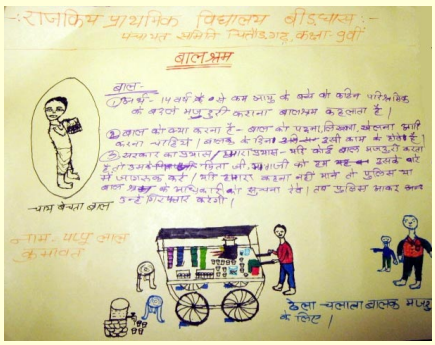

बाल अधिकार

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 नवम्बर 1989 को बच्चों के अधिकारों के लिए एक विश्व व्यापी घोषणा पत्र पारित किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने विश्वव्यापी घोषणा में कहा है कि इसके अन्तर्गत बचपन पर विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है।

20 नवम्बर 1959 को महासभा द्वारा पारित बाल अधिकारों की घोषणा में व्यक्त किया गया कि ''शारीरिक तथा मानसिक रूप से अपरिपक्व होने के कारण बच्चों को सुरक्षा के विशेष उपायों और देखभाल की आवश्यकता है, इसमें जन्म से पूर्व तथा बाद में भी समुचित कानूनी संरक्षण शामिल है।''

20 नवम्बर 1989 को राष्ट्र संघ ने बच्चों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव स्वीकृत किया। इसमें शामिल सभी अधिकार पूरे विश्व के बच्चों एवं युवाओं के लिए मान्य हैं। भारत सरकार ने इस दस्तावेज पर दिसम्बर 1992 में हस्ताक्षर किये। बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार बच्चों के लिये जीवन जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और सहभागिता का अधिकार सुनिश्चित किया गया।

लघु कथाऐं

चमत्कार

उस दिन गणेश मन्दिर के आगे बड़ी भीड़ थी, मन्दिर से लेकर दूर की झोपड़पट्टी तक भक्तगण एक हाथ में दूध का कटोरा और दूसरे हाथ में एक चम्मच लिए हुए कतारबद्ध खड़े बतिया रहे थे – 'क्या चमत्कार है, गणेशजी दूध पी रहे हैं।'

वहीं एक भिखारी का मटमैला बच्चा भूखी आँखों से कह रहा था ''इसमें कैसा चमत्कार? मेरा नाम भी गणेश है। मैं भी दूध पी सकता हूँ। विश्वास नहीं होता न, पिलाकर देखो।''

रोटी का टुकड़ा

बच्चा पिट रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अपराध का भाव नहीं था। वह ऐसे खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। औरत उसे पीटती जा रही थी, ''मर जा, जमादार हो जा..... तूने रोटी क्यों खाई?''

बच्चे ने भोलेपन से कहा, ''माँ, एक टुकड़ा उनके घर खाकर क्या मैं जमादार हो गया?''

''और नहीं तो क्या?''

''और जो काकू जमादार हमारे घर पर पिछले कई सालों से रोटी खा रहा है तो वह क्यों नही 'बामन' हो गया?'' बच्चे ने पूछा।

माँ का उठा हुआ हाथ हवा में ही लहराकर वापस आ गया।

संकलित दस्तक से
भूपिंदर सिंह

मेरे सपनों का गाँव

हमारा गाँव बहुत सुन्दर और हरियाली भरा हो।
हमारे गाँव में खेल का मैदान हो,
पानी निकासी की नालियां हों।
हमारे गाँव में एक मैदान हो,
जिसमें सभा हो सके व सभी विचार विमर्श कर सकें,
गाँव में भेदभाव न हो।
सभी मिलजुल कर एक दूसरे की परेशानियाँ दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहें,
चारों ओर हरियाली भरा एवं शांत वातावरण हो ।
हमारे गाँव में लड़का–लड़की का भेदभाव न हो,
आपस में हो भाईचारा तो सबसे सुन्दर हो गाँव हमारा।

सचेतक विद्या अग्रवाल, शम्भूपुरा

बाल श्रम

बाल का अर्थ – 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कठिन पारिश्रमिक के बदले मजदूरी कराना बालश्रम कहलाता है।

बाल को क्या करना चाहिए – बाल को पढ़ना, लिखना, खेलना आदि चाहिए। बालपन इसी काम के लिए होता है।

सरकार का प्रयास – यदि कोई बाल मजदूरी करता है तो उसके पिताजी, माताजी को हम उसके बारे में जागरूक करें। यदि हमारा कहना नहीं माने तो पुलिस या बालश्रम के अधिकारी को सूचना दें तब पुलिस आकर उन्हें गिरफ्तार करे।

पप्पू कुमावत कक्षा 9वीं
बाल पंचायत बीड़घास

गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ही संकल्प हमारा

एक जंगल का राजा था हाथी, छोटे–बड़े जानवर सब साथी।
एक दिन राजा ने एक प्लान बनाया, सारे मंत्रियों की एक सभा बुलाया।
बोला कि सबको है पढ़ाना, शिक्षा का है अलख जगाना।
हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ें, समाज की हम सोच को मोड़ें।
सबने मिल एक अभियान चलाया, घर–घर शिक्षा पहुँचे ऐसा एक नियम बनाया।
सबका था बस एक ही नारा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ही संकल्प हमारा।

पीयूष बरनवाल

गाँव गाँव ढाणी ढाणी शिक्षा का संदेश

शिक्षा की जोत जगाएंगे, हर बच्चे को समझायेंगे।
बच्चे की जोड़े कड़ी से कड़ी, हो स्कूलों में शिक्षा की झड़ी।
बच्चों का बचपन न खोए, बाल मजदूरी को न ढोएं।
बच्चे फूलों की डाली हैं, कांटों की चुभन से बचाना है।
हर गांव गांव ढाणी ढाणी, संदेश यही पहुँचाना है।
पढ़ लिख कर जीवन अपना, खुशहाल हमें बनाना है।

रेहाना परवीन

पर आज घर भी सुरक्षित नहीं रहा...

सुहानी शहर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। स्कूल की छुट्टियों में वह अपने माता पिता के साथ नाना नानी के पास गाँव जाती, जहाँ मीना उसकी अच्छी दोस्त थी। इस बार सुहानी को मीना के व्यवहार में कुछ बदलाव लगा। वह चुपचाप, उदास और खोई खोई सी लगी। सुहानी ने बहुत बार मीना से पूछना चाहा पर उसने बात टाल दी।

एक दिन सुहानी और मीना पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे तभी गाँव के कुछ लड़के उन्हें छेड़ते हुए निकले। सुहानी ने उन्हें घृणा भरी नजरों से देखते हुए कहा –''आज कल इन लड़कों के इरादे नेक नहीं लगते हैं, अब तो अकेले बाहर निकलने में ही डर लगता है।'' सुहानी की बातें सुन मीना भी बोल पड़ी तुम तो बाहर निकलने की बात कह रही हो मैं तो घर पर ही... और उसकी आँखे भर आईं। सुहानी ने जब ज़ोर दिया तो मीना ने सारी बात कह सुनाई। मीना की बातें सुनकर सुहानी के होश उड़ गए। एक बार तो सुहानी को मीना की बातों पर विश्वास ही नहीं आया। फिर भी उसने मीना को दिलासा देकर चुप कराया।

सुहानी रात भर मीना की बातें सोचती रही, सुहानी को समझ नहीं आया कि वह क्या करे? सुहानी अपनी माँ के साथ सहेलियों की तरह रहती थी। सुहानी उनसे हर अच्छी व बुरी बात कर लेती थी। सुबह होते ही सुहानी ने अपनी माँ को मीना की बात बताई और उसकी मदद करने के लिए कहा। सुहानी की माँ ने मीना और उसकी माँ से मिलने की इच्छा व्यक्त की।

सुहानी अपनी सहेली मीना और उसकी माँ को लेकर घर आई। सुहानी की माँ ने कुछ देर तो इधर उधर की बातें की, फिर मीना के साथ हो रहे अन्याय के बारे में मीना की माँ से पूछा। मीना की माँ के टप–टप आँसू बहने लगे, ''क्या करूं बहनजी मैं जानती हूँ कि कुछ दिनों से घर में गलत हो रहा है, पर लोक लाज के डर से कुछ कह नहीं सकती। यह लड़की जात है अगर कुछ कहूँ तो मेरी बच्ची की ही बदनामी होगी और कल इससे शादी कौन करेगा? मैंनें कई बार अपने पति को समझाया पर वह नशा करके आता है और मुझे व मेरे बच्चों को मारता पीटता है। लोक लाज के भय से मैं यह बात किससे कहूँ? कई बार मैंनें अपने ससुराल वालों से कहने की हिम्मत भी की परंतु वे कहते हैं कि मैं परिवार की बदनामी कर रही हूँ और अगर यह बात बाहर की तो हमें यह गाँव छोड़ कर जाना पड़ेगा। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं और कहाँ गुहार लगाऊं जिससे कि मेरी बेटी की जिन्दगी बर्बाद होने से बच जाएं।

मीना की माँ ने सुहानी की माँ से हाथ जोड़ कर विनती की कि वह किसी को यह बात न बताए परंतु कैसे भी कर बच्चियों को किसी सुरक्षित जगह पर पहुँचा दे।

सुहानी की माँ की प्रशासन में अच्छी जान पहचान थी। उसने इस बात के लिए आगे तक पैरवी की और कलेक्टर को पत्र लिखा। अगले दिन वह कलेक्टर से मिली और बच्चियों को किसी सुरक्षित जगह पर भेजने का निवेदन किया। कलेक्टर ने उन बच्चियों की बाल गृह में रहने की व्यवस्था की और उनकी शिक्षा के लिए भी कुछ पैसे देने का तुरंत आदेश निकाला और दो दिन में उसकी कार्यवाही पूर्ण की। खुशी के कारण मीना की माँ के आंसू भर आए और सुहानी की माँ को अपनी बच्चियों की जिन्दगी संवारने के लिये तहे दिल से धन्यवाद दिया।

आज मीना और उसकी बहन बाल गृह में सुरक्षित व खुश हैं। मीना की माँ उन्हें पढ़ा लिखाकर अच्छा इन्सान बनाना चाहती है और अपने पैरों पर खड़ा करवाना चाहती है।

वन्दना चौहान
कट्स मानव विकास केन्द्र

सामाजिक जागरूकता साँस्कृतिक कार्यक्रम

23 अक्टूबर से 24 नवम्बर 2009 तक चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति की सावा, सामरी, शंभूपुरा, घटियावली, ऐराल एवं नेतावल गढ़ पाछली ग्राम पंचायतों के 28 गाँवों में सामाजिक जागरूकता हेतु साँस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से 3015 पुरूष, 2695 महिला और 3198 बच्चों सहित कुल 8908 लोगों तक संदेश पहुँचाया गया। रतन राजस्थानी एवं पार्टी द्वारा बाल अधिकार, बाल श्रम एवं बाल विवाह पर आधारित गीत, नाटक एवं भजन प्रस्तुत किये गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान ग्राम पंचायत शम्भूपुरा के केसरपुरा गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ की प्रधान राजेश्वरी मीणा उपस्थित हुईं।

मीणा ने बालिका शिक्षा के महत्व के बारे में बताया और स्कूल से वंचित बच्चों को स्कूल से जोड़ने में समुदाय मुखियाओं से आगे आने का आह्वान किया। जिला परिषद् सदस्य त्रिलोक जाट ने समाज में व्याप्त अशिक्षा पर चिंता व्यक्त की। त्रिलोकजी ने गाँव के सभी लोगों से कहा कि वे शिक्षित होकर शिक्षित समाज की कल्पना को साकार करें। इस अवसर पर मीडिया के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

पहेलियाँ

भूरा–भूरा रंग है मेरा, मोटी मेरी खाल,
भरा पेट में पानी मेरे, ऊपर बालों की खाल।

मैं गोरी मेरे बच्चे काले,
मुझे छोड़ मेरे बच्चे खाले।

लाल लाल गुचकू, मैं हाथ डालूं तुझकू,
तू काट खाए मुझको मैं खा जाउं तुझको।

पूजा योगी
कक्षा 7वी, शम्भूपुरा

उत्तर – नारियल, इलायची, मिर्च

गठित होगा बाल अधिकार संरक्षण आयोग

प्रदेश में बच्चों के अधिकारों के सरंक्षण के लिए जल्द ही बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठित होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है।

आयोग बच्चों के सही पोषण, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके अधिकारों के सरंक्षण व सर्वांगीण विकास में मददगार होगा, साथ ही बालश्रम, बच्चों पर अत्याचार, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने की दिशा में काम करेगा। आयोग में अध्यक्ष व दो महिलाओं सहित छह सदस्य होंगे जो शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, न्याय, बाल मनोविज्ञान जैसे विषयों के अच्छे जानकार होंगे। *(दै.भा., 10.06.09)*

मुख्य गतिविधियाँ

मुख्य हितधारक आमुखीकरण कार्यशाला

मीडिया कार्यशाला में भाग लेते मीडिया के प्रतिनिधि

हितधारक प्रशिक्षण में डाइट की प्राचार्य मीना राघानी

सचेतक प्रशिक्षण में सेव द चिल्ड्रन के राजीव नागपाल

बाल अधिकार संवाद में एन.आर.एच.एम. के ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक

गाँव स्तर पर महिलाओं के साथ केन्द्रित समूह चर्चा

सांस्कृतिक कार्यक्रम

कठपुतली प्रदर्शन

बाल मजदूर

जब से देखा है उसकी आँखों में पथराये सपनों को,
उसकी धड़कन में बसे अपनों को,
तब से मेरे अहसास मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं,
मेरे बच्चों के खिलौने मुझे मुंह चिढ़ाने लगे हैं,
कि जब भी किसी मां की छाती में भूख से दूध नहीं उतरता,
बाबा के खेत में जुत जाने पर भी बच्चों का पेट नहीं भरता
जवां बेटी के हाथों में हल्दी सजानी हो,
घर के नन्हें मुन्नों की भूख मिटानी हो,
तब वो मां अपने नैन दुलारे को, बाबा अपने प्रिय सहारे को,
भेज दिया करते हैं ऐसी जगह,
जहाँ उनका सलोना स्वयं एक खिलौना
बन जाता है,
और मालिक की चाबी भरते ही कभी
बर्तन मलता है,
कभी कूड़ा बीनता है, कभी चाय पिलाता है, कभी रोटी खिलाता है।
और कभी रंग बिरंगे गुब्बारों के साथ बेच देता है,
अपने हसीन सपने कार में बैठे दूसरे बच्चों को
जब कभी भूल कर उसके सपनों में आ जाती हैं परियां,
तो मांग लेता है अपने छोटे भाई बहनों के लिए
अपनी सबसे मनपसंद चीज़ जिसका वो नाम नहीं जानता
और जब नींदों में आती है माँ, तो लोरी नहीं घर की भूख सुनाती है
ताकि दूसरे दिन वो फिर जिंदा हो सके,
नन्हें से कंधों पर जिम्मेदारियां ढो सके,
और घृणा कर सके पढ़ाई लिखाई से,
बाल मजदूरी के विरूद्ध हर लड़ाई से बाल मजदूर,
क्योंकि नारे बस नारे होते हैं, उनका कोई माई बाप नहीं होता
काश कि नारे सुधार सकते उस बाल मजदूर के घर के मौजूदा हालात
काश की वो जा सकता कंधे पे किताबों का बस्ता लिए खुशी खुशी विद्यालय
और गा सकता सारे जहाँ से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा,
हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तां हमारा।

http://ritubasant.blogspot.com/2009/06/blog-post_09.html.

मीडिया क्लिप

कट्स मानव विकास केन्द्र
सेंती (रावला), चित्तौड़गढ़, फोन : (01472) 241472, फैक्स : 240072
E-mail: chd@cuts.org, Website: www.cuts-international.org

मुद्रक : एम.एस. प्रिण्टर्स